

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

-: आदेश :-

क्रमांक 141/दो-12-6/69

दमोह दिनांक 27/03/2025

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से एवं लेखा प्रशिक्षण बावत् माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर से प्राप्त ज्ञापन क्रमांक ए/2109 दिनांक 26.03.2025 के अनुक्रम में सारणी के कॉलम क्र. 2 में उल्लेखित तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण के स्थानांतरण कॉलम क्र. 3 में उल्लेखित स्थान से कॉलम क्र. 4 में उल्लेखित नवीन स्थान पर तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	कहां से	कहां को	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री अमिताभ दुबे, सहायक ग्रेड-2	आसंजित लिपिक, न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड हटा (श्रीमती दीप्ति ठाकुर)	प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हटा (सुश्री निशिता श्रीवास्तव)	श्री शंकर सिंह गौड़ के स्थान पर
2.	श्री शंकर सिंह गौड़, सहायक ग्रेड-3	प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हटा (सुश्री निशिता श्रीवास्तव)	मालखाना नाजिर, मालखाना अनुभाग, हटा	श्री इमाम खान के स्थान पर
3.	श्री इमाम खान, सहायक ग्रेड-3	मालखाना नाजिर, मालखाना अनुभाग हटा	आसंजित लिपिक, लेखा अनुभाग दमोह	-

नोट:-

1. श्री अशोक श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-3 के अवकाश अवधि में श्री नीरज कोष्टी, साक्ष्य लेखक अपने कार्य के साथ-साथ प्रस्तुतकार का कार्य भी संपादित करेंगे।
2. उपरोक्तानुसार स्थानांतरित कर्मचारीगण तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण कर संबंधित पीठासीन/प्रभारी अधिकारी के माध्यम से चार्ज रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

Sd/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

पृष्ठ क्रमांक - 1127/दो-12-6/69

दमोह दिनांक-27/03/2025

प्रतिलिपि :-

- 1- संबंधित न्यायालय/अनुभाग
- 2- संबंधित तृतीय श्रेणी शासकीय सेवक
- 3- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/लेखापाल/सहायक लेखापाल/ऑफिस मोहररि/ऑफिस टाईपिस्ट/वेतन लिपिक/एच.आर.एम.एस. लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह।

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)